न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्याः–03 / 20 वर्ष 2020

जीसीएमएस संख्याः– (2020 / 00038

बउनवानीः–1. झण्डू पुत्र प्रहलाद मीना निवासी बनोठा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. चैयरमेन अलोटमेंट कमेटी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. रामकुंवार पुत्र बजरंगलाल मीना (फोत)

2/1. भरतलाल पुत्र रामकुंवार मीना निवासी धमूण रोड़ अम्बेडकर कॉलोनी खेरदा

2/2. इन्द्रराज पुत्र रामकुंवार मीना नि0 कुम्हार की होटल के पास धमूण रोड स.मा.

2/3. राकेश उर्फ मीठालाल पुत्र रामकुंवार मीना नि0 धमुण रोड़ खेरदा,स0मा0

2/4. काली बाई पुत्री रामकुंवार मीना नि0 हासलगावं तह0 उनियारा जि0 टोंक

2/5. सुनिता पुत्री रामकुंवार मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1975 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील प्रार्थी

2. श्री भवंरसिंह जादौन — वकील अप्रार्थी 2/1–2/5

–: निर्णय :– दिनांक 24.10.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1975 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम बनोठा के आराजी ख0न0 562 रकबा 5 बीघा भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नाम करवाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष पेश किया जिसमे अंकित किया कि प्रार्थी के पास स्वंय के नाम पर या संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर जोत के लिए कृषि भूमि नही है आदि कॉलम संख्या 1,2 रिक्त छोडे गये है अर्थात फार्म अपूर्ण था किन्तु उक्त अपूर्ण फार्म पर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिहीन कृषक मानते हुए दिनांक 13.6.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी जबकि भू आवंटन नियम के अनुसार भूमिहीन काश्तकार को ही भूमि आवंटित की जाती है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के पास 60–70 बीघा भूमि वरवक्त आवंटन मोजूद थी क्योकि अप्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद अप्रार्थी के 5 भाईयो के हिस्से मे 12–12 बीघा जमीन आयी है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तथ्य छीपाकर यह भूमि आवंटित की गयी। ख0न0 562 रकबा 24 बीघा का है जिसके नये नम्बर 20,21,33,59,60,66,72, 73,74, 68, 33/2011 बने है जिसपर प्रार्थी लगभग 70 वर्षो से काबिज एवं पेनेल्टी जमा करवाते आ रहे है तथा इस [illegible] मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। इस जमीन को लेकर सहायक कलेक्टर [illegible] वाद भी जैरकार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का [illegible] जमीन पर 12 वर्ष से अधिक कब्जा है तो उसे बेदखल नही किया जा सकता है। अप्रार्थी [illegible] आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने संबंधी कोई रिपोर्ट आवंटन पत्रावली पर मौजूद नही है [illegible] आवंटित भूमि का अप्रार्थी को कब्जा नही दिया गया था। चूंकि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा आवंटन दिनांक से लेकर आज तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:19 IST
Reason: Self Attested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

नही है। दिनांक 15.2.2020 को अप्रार्थी ने उक्त जमीन अपनी बताते हुए खाली करने के लिए कहने पर दिनांक 17.2.2020 को नकल के लिए आवेदन कर दिनांक 19.2.2020 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मे अंकित किया कि आवंटन के लगभग 45 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) मियाद बाहर पेश होने के कारण खारिज योग्य है तथा आवंटन खारिज किये जाने का कोई संतोष जनक कारण भी नही बताया है उक्त आवंटित भूमि ख0न0 562 रकबा 5 बीघा पर आवंटन दिनांक से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। दिनांक 6.6.2023 को रामकुंवार की मृत्यु होने पर उक्त भूमि का विरासत का नामा0 संख्या 799 दिनांक 7.8.2023 रामकुंवार के वारिसान अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/5 के नाम खोला गया है उक्त ख0न0 पर प्रार्थी झण्डू का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि को अपने नाम करवाने हेतु प्रार्थी झण्डू द्वारा 2012 मे न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे वाद पेश कर रखा है जो वर्तमान मे जैरकार है यदि उक्त वाद मे प्रार्थी अपने अधिकार तय करवा लेता है तब भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नही माना जावेगा। जहॉ तक पेनेल्टी जमा करवाने की रसीद का प्रश्न है तो उक्त रसीदो मे ख0न0 अंकित नही है तथा पेनेल्टी सरकारी भूमि/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर जमा करवायी जाती है किसी की खातेदारी भूमि की पेनेल्टी जमा नही होती है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदेन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूँ कि वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन किस प्रकार गलत है ठोस कारण नही बताया है ओर उक्त आवंटन को इतने समय लगभग 45 वर्ष बाद निरस्त करवाने हेतु 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई ठोस कारण भी नही बताया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि को लेकर वर्ष 2012 से सहायक कलेक्टर न्यायालय मे वाद जैरकार है जिसमे पक्षकारान के हितो का निर्धारण किया जाना है। प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्त करने का आधार आवेदन फार्म के कॉलम रिक्त रहना बताया है परन्तु यह विधिक त्रुटि न होकर तकनिकी कमी है जिसके कारण आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नही है। प्रार्थी द्वारा दूसरा आधार अप्रार्थी के पिता के पास 60–70 बीघा जमीन वरवक्त आवंटन होना बताया गया परन्तु उससे संबंधित दस्तावेज (तत्समय की जमाबन्दी) भी पेश नही की गयी है। आवंटन कमेटी कई तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करती है व विधिवत आवंटन करती है। इसलिए उक्त आवंटन में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त यदि प्रार्थी का यह कथन मान भी लिया जाए कि वह पैनल्टी जमा करता आया है तो भी इससे केवल यह साबित होता है कि वह सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है जिससे उसका कोई अधिकार स्वतः पैदा नही होता है व 45 वर्ष बाद अप्रार्थी के विरूद्ध यह निगरानी पेश करने का ठोस कारण नही बताया है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:19 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner